न्यायालयः— अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिला डीडवाना—कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**सुन्दर लाल खारोल**, आर.जे.एस., (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी मूल वाद संख्या	:	158 / 2021 (65 / 2014)
सीएनआर नम्बर	:	RJDK050016332021
अनवान	:	कालूराम बनाम दुलीचन्द व अन्य

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

उपस्थित :—
1. प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद हनीफ।
2. अप्रार्थी / वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार जोशी ।

:: आदेश ::

दिनांक : 01.05.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्तता के लिए सी.पी.सी) दिनांक 09.04.2026 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि वाद हाजा में वादग्रस्त भूखण्ड के पूर्व भू स्वामी सूरजमल एवं जेठाराम के मध्य दिनांक 20.09.2011 को सम्पन्न बेचान अनुबद्ध निष्पादित किया गया। इसके पश्चात् जेठाराम ने वादी संख्या 1 को उसी जमीन को बेचने का अनुबद्ध जनवरी 2013 को कर दिया था। दिनांक 20.09.2011 को अनुबद्ध की पालना में पूर्व विक्रेता खातेदार संवेदक सूरजमल द्वारा बेचान की पालना में वादग्रस्त बेचाननामा प्रतिवादीगण के पक्ष में तहरीर कर दिया गया। उक्त बेचान अनुबद्ध के सम्बन्ध में जेठाराम की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए प्रतिवादीगण अपनी प्रतिरक्षा में गवाह मुकेश पुत्र जेठाराम निवासी बूडसूरोड, वृन्दावन गार्डन के पास, कुचामन सिटी को साक्ष्य में परीक्षित करवाना चाहते है।

3. अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र मे आगे अंकित किया है कि वाद हाजा में जेठाराम की मृत्यु होने से उसका पुत्र वाद से संबंधित बेचान का अहम गवाह हो जाता है। उक्त गवाह प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को बयान हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होने के कहने से साक्ष्य सूची में इस गवाह को प्रस्तुत नही किया जा सका है। दिनांक 19.03.2026 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा गवाह मुकेश को साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 25.03.2026 नीयत होने की सूचना देने पर गवाह द्वारा स्वयं शपथ पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना बताया है। परन्तु नीयत

तारीख पर सम्पर्क करने पर गवाह मुकेश ने कोर्ट के नोटिस/सम्मन आने पर ही हाजिर होने का बहाना बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गवाह मुकेश को प्रार्थी की ओर से गवाही हेतु सम्मन जारी करने का निवेदन किया।

4. इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र का लिखित में जवाब प्रस्तुत नही कर, सीधे मौखिक बहस करने का निवेदन किया।

5. बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति करते हुए निम्न तर्क प्रस्तुत किए कि वाद हाजा में वादग्रस्त भूखण्ड के पूर्व स्वामी सूरजमल एवं जेठाराम के मध्य दिनांक 20.09.2011 को बेचान निष्पादित हुआ। इसके पश्चात् जेठाराम ने वादी को उसी जमीन के सम्बन्ध में बेचान माह जनवरी 2013 में निष्पादित किया। दिनांक 20.09.2011 के बेचान में सूरजमल द्वारा प्रतिवादीगण के पक्ष में बेचाननामा तहरीर किया गया है। वर्तमान में जेठाराम की मृत्यु होने से उसका पुत्र मुकेश वाद में आवश्यक गवाह है। उक्त गवाह द्वारा व्यक्तिशः उपस्थिति होने के बहाने बनाकर प्रतिवादीगण को विश्वास में रखा जा रहा है। अतः उक्त गवाह को जरिये सम्मन तलब करने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किए गए कि प्रतिवादी पक्ष ने साक्ष्य सूची में उक्त गवाह को शामिल नही किया गया है। प्रार्थी ने साक्ष्य सूची में गवाह को असम्मिलित करने बाबत कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नही किया है। प्रार्थी मात्र वाद के विचारण में विलम्ब कारित करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपांत अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

8. प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विवेचना करने से पूर्व सुसंगत विधि व प्रतिपादित सिद्धांतो का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। **आदेश 16 नियम 1 सी.पी.सी** यह उपबंधित करती है कि :—

"ORDER XVI

Summoning and Attendance of Witnesses—

1. **List of witnesses and summons to witnesses.**—(1) On or before such date as the Court may appoint, and not later than fifteen days

after the date on which the issues are settled, the parties shall present in Court a list of witnesses whom they propose to call either to give evidence or to produce documents and obtain summonses to such persons for their attendance in Court.

(2) A party desirous of obtaining any summons for the attendance of any person shall file in Court an application stating therein the purpose for which the witness is proposed to be summoned.

(3) The Court **may**, for reasons to be recorded, **permit a party to call**, whether by summoning through Court or otherwise, **any witness, other than those whose names appear in the list referred to in sub-rule (1)**, if such party **shows sufficient cause** for the omission to mention the name of such witness in the said list.

(4) Subject to the provisions of sub-rule (2), summonses referred to in this rule may be obtained by the parties on an application to the Court or to such officer as may be appointed by the Court in this behalf within five days of presenting the list of witnesses under sub-rule (1).

9. इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा न्यायिक दृष्टान्त **Satnam Transport Company And Anr. vs Prakash Mal Surana** {AIR1981 RAJ 75} Date 15.02.1980 में निम्न विधिक स्थिति अभिव्यक्त की हैः–

> ".....The provisions contained in Order 16. Rule 1, C. P. C. should be construed by the courts liberally. The evidence should not be normally shut, unless the conduct of the parties is grossly negligent and there are serious laches on its part. Wrong and unwarranted exercise of discretion, gives rise to avoidable litigations in the form of appeals and revisions and setting aside of such orders in appeals and revisions, would further result in prolongation of the litigation, thereby the very object of the salutary provisions intended to curb the delays, would be defeated. Thus, the trial courts should so exercise their discretion and conduct the lis in such a manner, which may avoid unnecessary litigation and advance substantial justice, unless they are required to adopt a different course, either by force of circumstances, or where their hands are tied by law...."

10. आदेश 16 नियम 1 (3) सी.पी.सी. में वर्णित ''Sufficient Cause" के सन्दर्भ में माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Dinesh Singh Bhim Singh Vs Vinod Shobhraj Gajaria & Anr** Writ Petition No.11185 of 2022 Date 25.01.2023 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

> "12. If the Respondents/Plaintiffs in present case is denied an opportunity of examining the two additional witnesses for technical lapse of non inclusion of their names in the list of witnesses or for non-showing of sufficient cause in the application, the same would

result in miscarriage of justice. In the event of Respondents/Plaintiffs being successful in proving that the transaction in question is that of a sale by examining the said two additional witnesses, the same would have a material bearing on the result of litigation. In such circumstances, Court would not deny them the opportunity by showing technical rules of procedure, drafted for advancing the cause of justice. Following the principles enunciated by the Apex Court in **Kailash vs. Nanhku & Ors., (2005)4 SCC 480**., I am of the view that even if Respondents/Plaintiffs have failed to show/plead any cause for omission of the names of said two witnesses in the list of witnesses which ought to have been filed under the provisions of sub-rule 1 of Rule 1 of Order XVI of the CPC, that alone cannot be a reason for rejecting Respondents/Plaintiffs request for examination of said two witnesses. This is particularly true when this Court has already arrived at a finding that the examination of the said two witnesses appears to be necessary for the purpose of determining the real question of controversy between the parties.

11. उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं माननीय उच्च न्यायालयो द्वारा प्रतिपादित मत के अनुसार न्यायालय के समक्ष यह वैधानिक स्थिति उभर कर आती है कि आदेश 16 नियम 1 सीपीसी का निर्वचन उदारतापूर्वक व न्याय के समुचित हित के सन्दर्भ में किया जाना चाहिए। यदि गवाह वाद हेतु आवश्यक प्रकृति का है एवं न्यायालय के विवेचन में उसकी साक्ष्य विवाद्यको के न्याय–निणर्यन हेतु सहायक होगी, तो चाहे उसके गवाह सूची में नाम वर्णन के लोप के सन्दर्भ में पर्याप्त कारण दर्शित नही किया गया हो, न्यायालय गवाह को सम्मन करने की अनुमति प्रदान करेगा।

12. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाए तो वाद में विवादित बेचाननामा का जेठाराम आवश्यक पक्षकार रहा है। जेठाराम की मृत्यु होने पर उक्त बेचाननामे के संदर्भ में यथोचित साक्ष्य न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत होना, विवाद्यको के समुचित विनिश्चयन हेतु आवश्यक है। ऐसे में जेठाराम के पुत्र की गवाही विवाद्यको के निर्णयन में सहायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपनी साक्ष्य में गवाह प्रस्तुत करने हेतु साक्ष्य सूची में नाम अंकित नही किया गया है, जिस सन्दर्भ में प्रार्थी पक्ष ने गवाह मुकेश द्वारा उन्हे व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने का भरोसा दिलाये जाने का कारण प्रस्तुत किया है। उक्त कारण किसी भी स्तर पर पर्याप्त कारण होना दर्शित नही होता है। परन्तु न्यायालय के विवेचन में उक्त गवाह विवाद्यको के निस्तारण हेतु आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला दर्शित होने से मात्र पर्याप्त कारण के तकनीकी बिन्दू के साबित

नही होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः न्यायहित में तथा वाद में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत होने की मंशा से हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

13. उक्त विवेचनानुसार एवं वाद में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत होने के उददेश्य से प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: <u>आदेश</u> ::—

14. अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी दिनांक 09.04.2026 एतद्दारा स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा नियमानुसार तलवाना प्रस्तुत करने पर गवाह मुकेश पुत्र जेठाराम, निवासी बूडसूरोड, वृद्वावन गार्डन के पास, अंकन आटा फेक्ट्री के पीछे, कुचामन सिटी को नोटिस/तामील जारी की जावे।

15. हस्तगत पत्रावली न्यायालय के चयनित प्रकरणो में शुमार है। अतः यह विशेष निर्देश दिया जाता है कि गवाह की तामील के सम्बन्ध में किसी प्रकार का स्थगन आदेश 19 नियम 57, सामान्य नियम दीवानी व दाण्डिक, 2018 के तहत नही प्रदान किया जावेगा।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)

16. आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना—कुचामन (राज.)